मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 7–42/2012/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2018

प्रति,

समस्त अनुविभागीय अधिकारी ''राजस्व'' (पदाभिहित अधिकारी),
समस्त जिला कलेक्टर (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
समस्त संभागायुक्त (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
मध्यप्रदेश

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में।

संदर्भः–(1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ. 7–42/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 13 जनवरी, 2014.

(2) लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2018

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.3 ''जाति प्रमाण–पत्र प्रदाय करना'' को वर्तमान में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार प्रकार से प्रदाय किया जा रहा है:–

1. स्कूल में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को अभियान अंतर्गत
2. म.प्र. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों हेतु

2. लोक सेवा गारंटी कानून अंतर्गत इस सेवा की समय–सीमा 30 कार्य दिवस है। सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 7–42/2012/आ.प्र./एक दिनांक 13 जनवरी, 2014 में जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

3. जनजाति कार्य विभाग द्वारा MPTASS (विभाग की योजनाओं एवं प्रकियाओं के कम्प्यूटरीकरण परियोजना) के अंतर्गत ''प्रोफाइल पंजीकरण'' में अनिवार्यतः डिजिटल

हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इस स्थिति में ऐसे नागरिक जिनका पूर्व में हस्तलिखित (मैन्युअल) जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उनको डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

4. विश्लेषण में यह भी ज्ञात हुआ कि ऐसे नागरिक जिनके परिवार में किसी एक सदस्य (दादा/पिता/चाचा/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की समय–सीमा 30 दिवस बहुत अधिक है। इसे कम होना चाहिए।

5. कंडिका–3 एवं 4 में वर्णित जाति प्रमाण पत्र जारी करने में पदाभिहित अधिकारी को विशेष छान–बीन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पूर्व में आवेदक के एवं उसके परिवार के संबंध में एक बार छान–बीन कर जाति एवं निवास की पुष्टि की जा चुकी है। इसलिए इन जाति प्रमाण पत्रों को जल्दी जारी किया जा सकता है।

6. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत 2 नई सेवाएं–6.5 एवं 6.6 जोड़ते हुए उसके लिए निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई है:–

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.5	हस्तलिखित मैन्युअल जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	03	जिला कलेक्टर	07	संभागीय आयुक्त राजस्व.
6.6	ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	15	जिला कलेक्टर	30	संभागीय आयुक्त राजस्व.

7. अतः उपरोक्त नई सेवा के संबंध में निर्धारित समय सीमा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

8. उक्त सेवा हेतु आवेदन का प्रारूप संदर्भित ज्ञापन की कंडिका क्रमांक--3 के अनुसार होगा।

9. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः–

(i) सेवा क्रमांक 6.5 के लिएः–

1. आवेदक के पक्ष में जारी हस्तलिखित (मैनुअल) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. आवेदक का परिचय पत्र (आधार/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वयं की सत्यापित छायाप्रति।

(ii) सेवा क्रमांक 6.6 के लिएः--

1. आवेदक के परिवार के किसी सदस्य (दादा/पिता/चाचा/भाई/बहन) को जारी मैनुअल/डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
2. राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/ अन्य दस्तावेज जिसमें परिवार के सदस्य का उल्लेख हो, की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
3. स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (वैकल्पिक यदि उपलब्ध हो)।
4. आवेदक का परिचय पत्र (आधार/ वोटर आई.डी./ ड्राईविंग लाइसेंस /पासपोर्ट) की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
5. जाति, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र धारक के आवेदक से संबंध होने का शपथ पत्र/घोषणा पत्र।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ 7–42 / 2012 / आप्र / एक भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ,
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ,
4. मान. मंत्री / राज्यमंत्री के निज सचिव, निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
6. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल,
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ,
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ,
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सचिव, लोकायुक्त , मध्यप्रदेश, भोपाल ,
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ,
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
14. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल ,
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, Block 204, मैथी विहार, अमीर पेठ, हैदराबाद–500038
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल ,
18. उप सचिव, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,
19. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण, अभिलेख, पुस्तकालय ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) की ओर सा.प्र.वि. की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

मध्यसप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग